

सितंबर 17, 2021

कार्यकारी आदेश 2021-23

कार्यकारी आदेश 2021-23
(COVID-19 कार्यकारी आदेश सं. 89)

जबकि, मार्च 2020 की शुरुआत से ही, इलिनॉय ने एक ऐसी वैश्विक-महामारी का सामना किया है जो असाधारण रूप से बीमारी एवं जनहानि का कारण बनी है, जो 1,590,000, से भी अधिक लोगों को संक्रमित कर चुकी है और इसने 24,500 से अधिक निवासियों की जान ले ली है; और,

जबकि, जैसे इलिनॉय कोरोनावायरस रोग 2019 (COVID-19) द्वारा उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा का लगातार सामना कर रहा है, जो कि एक बिलकुल नया, गंभीर, तीव्र श्वसन रोग है जो श्वसन संचरण के माध्यम से तेज़ी से फैलता है, इससे संपूर्ण राज्य के निवासियों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, प्रथम उत्तरदाताओं और सरकारों पर जो भारी दबाव पड़ा है वह अभूतपूर्व रहा है; और,

जबकि, इलिनॉय के निवासियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा राज्य सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है; और,

जबकि, कोरोनावायरस का डेल्टा संस्करण, पहले से फैल रहे स्ट्रेन की तुलना में अधिक आक्रामक और अधिक संक्रामक है, और वायरस के प्रसार को रोकने और धीमा करने के लिए चल रहे प्रयास में नए जोखिम पैदा करता है; और,

जबकि, डेल्टा संस्करण वायरस के पिछले स्ट्रेन की तुलना में अधिक गंभीर बीमारी पैदा कर सकता है; और,

जबकि, रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (CDC) का अनुमान है कि डेल्टा संस्करण अब अमेरिका में अब तक के सभी अनुक्रमित कोरोनावायरस में से 90 प्रतिशत से अधिक हो गया है; और,

जबकि, सामाजिक दूरी, फ़ेस कवर, और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सावधानियां COVID-19 के प्रसार को धीमा करने एवं रोकने में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं; और,

जबकि, सार्वजनिक स्वास्थ्य मार्गदर्शन की सलाह के अनुसार उन लोगों के बीच कम से कम शारीरिक संपर्क हो जिनका पूरा टीकाकरण नहीं हुआ है और जो एक ही घर में नहीं रहते हैं, यह COVID-19 के फैलाव को धीमा करने के लिए महत्वपूर्ण है; और,

जबकि, CDC लगातार यह सलाह दे रहा है कि कपड़े के फ़ेस कवरिंग या मास्क उन लोगों की रक्षा करते हैं जिनका COVID-19 से पूरी तरह टीकाकरण नहीं हुआ है; और,

जबकि, CDC की सलाह के अनुसार, स्कूलों को K-12 स्कूलों में COVID-19 की रोकथाम के लिए CDC के मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए जो अपने क्षेत्र में आवश्यक विभिन्न स्तरों वाली रोकथाम रणनीतियों को निर्धारित करने के लिए भवनों के अंदर सार्वभौमिक रूप से सभी के मास्क पहनने और स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने की सिफारिश करता है; तथा,

जबकि, CDC लगातार यह सलाह दे रहा है कि डे केयर प्रदाताओं और उनके स्टाफ को वैक्सीन लग जाने के बाद भी, उन्हें मास्क लगाने और शारीरिक दूरी बनाए रखने सहित, COVID-19 रोकथाम रणनीतियों का पालन जारी रखना चाहिए; और,

जबकि, राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) के दौरान कोविड-19 इलिनॉय में फैल चुका है, और संपूर्ण राज्य में आपदा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां बदल चुकी हैं एवं लगातार बदल रही हैं, तो ऐसे में अगले कुछ महीनों में वाइरस के प्रसार का मार्ग क्या होगा इसका स्पष्ट पूर्वानुमान लगाना अत्यंत कठिन हो गया है; और,

जबकि 24,500 से अधिक इलिनॉय वासियों की दुखद मृत्यु के साथ ही दसियों हज़ार से अधिक लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के अलावा, COVID-19 ने राष्ट्र और राज्य भर में व्यापक आर्थिक नुकसान किया है और बड़ी संख्या में लोगों और व्यवसायों की वित्तीय समृद्धि के लिए खतरा बना हुआ है; और,

जबकि, राज्य में कई कार्यकारी एजेंसियां अपने सीमित संसाधनों को COVID-19 महामारी के विरुद्ध जारी प्रतिक्रिया पर केंद्रित करना जारी रखे हुए हैं; तथा,

जबकि, कोविड-19 वैश्विक-महामारी के कारण इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ एग्रीकल्चर (Illinois Department of Agriculture, (IDOA)) के लिए मांस व पोल्ट्री इकाइयों और पशुधन प्रबंधन इकाइयों के नियमन एवं पर्यवेक्षण के माध्यम से राज्य की खाद्यापूर्ति शृंखला पर प्रकोप के प्रभाव को संभालना आवश्यक हो गया है; और,

जबकि, कोविड-19 वैश्विक-महामारी के चलते पशुधन बाज़ार में आए व्यवधान के कारण IDOA के लिए डेड एनीमल डिस्पोज़ल एक्ट (Dead Animal Disposal Act) के अपने पर्यवेक्षण एवं नियमन के माध्यम से सुरक्षित एवं पर्यावरणीय पशु निपटान चिंताओं को हल करने के लिए अपने संसाधनों को पशुधन स्वामियों एवं उत्पादकों के साथ कार्य करने पर केंद्रित करना आवश्यक हो गया है; और,

जबकि, IDOA ऐसे कई अन्य उद्योगों का नियमन एवं उनकी जांच-पड़ताल करता है जो कोविड-19 वैश्विक-महामारी से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं, जिनमें कीटनाशक का छिड़काव करने वाले, पशु आश्रय, पालतू पशुओं की दुकानें, और गैस स्टेशन शामिल हैं पर वे इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, और इन उद्योगों के सतत व उचित नियमन हेतु IDOA के लिए यह आवश्यक है कि वह दूरस्थ जांच-पड़ताल एवं प्रशिक्षण के संचालन के लिए नई कार्यविधियों की रचना करने में अतिरिक्त समय व संसाधन लगाए; और,

जबकि, IDOA द्वारा विनियमित उद्योगों पर कोविड-19 वैश्विक-महामारी के हानिकारक प्रभाव के कारण IDOA के लिए बिज़नेस इंटरप्शन ग्रांट प्रोग्राम (Business Interruption Grant Program) के समयबद्ध कार्यान्वयन और प्रबंधन में अतिरिक्त समय एवं संसाधनों का निवेश आवश्यक हो गया है; और,

जबकि, सितंबर 17, 2021 को, COVID-19 के जारी प्रसार के अपेक्षित रूप से जारी रहने, और राज्य भर के लोगों द्वारा आगामी महीनों में जो लगातार उनके स्वास्थ्य पर एवं आर्थिक स्थिति पर बुरे प्रभाव महसूस किए जाएंगे उनपर विचार करते हुए, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और,

जबकि, ऊपर वर्णित महामारी और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की प्रतिक्रिया में, मुझे कार्यकारी आदेश 2020-04, 2020-09, 2020-11, 2020-12, 2020-15, 2020-20, 2020-21, 2020-23, 2020-24, 2020-27, 2020-30, 2020-36, 2020-40, 2020-45, 2020-50, 2020-68, 2021-03, 2021-12, 2021-13, 2021-18, और 2021-22, को फिर से जारी करना आवश्यक पाता हूँ, और उन कार्यकारी आदेशों के जबकि खंडों को एतद्वारा समाविष्ट करता हूँ;

अतः, इलिनॉय के राज्यपाल के रूप में मुझमें निहित शक्तियों द्वारा, और इलिनॉय के संविधान एवं इलिनॉय आपातकाल प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (इलिनॉय एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट), 20 ILCS 3305 के

अनुभागों 7(1), 7(2), 7(3), और 7(8), 7(9) और 7(12) के अनुसरण में, और सार्वजनिक स्वास्थ्य कानूनों में निहित शक्तियों के अनुरूप, मैं एतद्वारा निम्नलिखित आदेश देता हूँ जो सितंबर 17, 2021 से प्रभावी होगा:

भाग 1: कार्यकारी आदेशों को पुनः जारी करना।

सरकारी आदेश 2020-04, 2020-09, 2020-11, 2020-12, 2020-15, 2020-20, 2020-21, 2020-23, 2020-24, 2020-27, 2020-30, 2020-36, 2020-40, 2020-45, 2020-50, 2020-68, 2021-03, 2021-12, 2021-13, 2021-18 और 2021-22 को निम्नवत एतद्वारा पुनः जारी किया जाता है:

कार्यकारी आदेश 2020-04 (राज्य कर्मचारियों के लिए रोग अवकाश आवश्यकता की समाप्ति):

कार्यकारी आदेश 2020-04 का अनुभाग 3 पुनः जारी किया जाता है एवं अक्टूबर 16, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-09 (दूरस्वास्थ्य (टेलिहेल्थ)):

कार्यकारी आदेश 2020-09 के अनुभाग 9 और 10, जो कि कार्यकारी आदेश 2021-15 द्वारा संशोधित हैं, को पुनः जारी किया जाता है एवं अक्टूबर 16, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-11 (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ करैक्शज़ (Illinois Department of Corrections) अधिसूचना अवधि):

कार्यकारी आदेश 2020-11 का अनुभाग 4 पुनः जारी किया जाता है एवं अक्टूबर 16, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-12 (स्वास्थ्य देखभाल कर्मी पृष्ठभूमि जांच: इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ ज़ुविनायल जस्टिस (Illinois Department of Juvenile Justice) अधिसूचना अवधि):

कार्यकारी आदेश 2020-12 का अनुभाग 3 पुनः जारी किया जाता है एवं अक्टूबर 16, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-15 (इलिनॉय स्कूल कोड (Illinois School Code) के प्रावधानों का स्थगन):

कार्यकारी आदेश 2020-15 के अनुभागों 5, 6, 7, 8, और 9 को पुनः जारी किया जाता है एवं अक्टूबर 16, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-20 (सार्वजनिक सहायता आवश्यकताएं):

कार्यकारी आदेश 2020-20 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं अक्टूबर 16, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-21 इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ करैक्शज़ (Illinois Department of Corrections) के कैदियों का थोड़े दिनों का अवकाश

कार्यकारी आदेश 2020-21 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं अक्टूबर 16, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-23 (आपदा प्रतिक्रिया में संलग्न लाइसेंसशुदा पेशेवरों के लिए इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ फाइनेंशियल एंड प्रोफेशनल रेगुलेशन (Illinois Department of Financial and Professional Regulation) द्वारा की गई कार्यवाहियां):

कार्यकारी आदेश 2020-23 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं अक्टूबर 16, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-24 (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्युमन सर्विसिज़ फ़ोरेंसिक ट्रीटमेंट प्रोग्राम (Illinois Department of Human Services Forensic Treatment Program); इलिनॉय मिपार्टमेंट ऑफ़ ह्युमन सर्विसिज़ (Illinois Department of Human Services) के कर्मचारियों की जांच पड़ताल:

कार्यकारी आदेश 2020-24 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं अक्टूबर 16, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-27 (कोविड-19 परीक्षण में पॉज़िटिव पाए गए शव):

कार्यकारी आदेश 2020-27 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं अक्टूबर 16, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-30 (समयातीत (एक्सपायर) हो चुके दूतावासीय (कौंसुलर) पहचान दस्तावेज़; इलिनॉय ह्युमन राइटज़ कमीशन (Illinois Human Rights Commission) के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग):

कार्यकारी आदेश 2020-30 के अनुभागों 1, 4, 5, और 6 को पुनः जारी किया जाता है और अक्टूबर 16, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-36 (विवाह लाइसेंसिज़):

कार्यकारी आदेश 2020-36 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं अक्टूबर 16, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-40 (बाल श्रम कानून):

कार्यकारी आदेश 2020-40 के अनुभागों 2, और 4 को पुनः जारी किया जाता है एवं अक्टूबर 16, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-45 (केनाबिस लाइसेंस):

कार्यकारी आदेश 2020-45 अपनी संपूर्णता में फिर से जारी किया जाता है और कार्यकारी आदेश 2020-45 में निर्दिष्ट किए अनुसार प्रभावी रहेगा।

कार्यकारी आदेश 2020-50 (काउंटी जेलों से इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ करैक्शज़ में स्थानांतरण फिर से शुरू करना):

कार्यकारी आदेश 2020-50 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं अक्टूबर 16, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-68 (केनाबिस रजिस्ट्री पहचान पत्र का नवीनीकरण):

कार्यकारी आदेश 2021-05 द्वारा यथा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-68 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं अक्टूबर 16, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2021-03 (क्षेत्रीय शमन मेट्रिक्स):

कार्यकारी आदेश 2021-03 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं अक्टूबर 16, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2021-12 (चरण 5 दोबारा खोलना):

कार्यकारी आदेश 2021-15 द्वारा यथा संशोधित कार्यकारी आदेश 2021-12 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं अक्टूबर 16, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2021-13 (आवासीय निष्कासन स्थगन):

कार्यकारी आदेश 2021-14 और कार्यकारी आदेश 2021-19 द्वारा संशोधित कार्यकारी आदेश 2021-13 के अनुभाग 1, 4, 5 7 और 8 को **अक्टूबर 3 2021** तक फिर से जारी और विस्तारित किया गया है, इसके बाद कार्यकारी आदेश 2021-13 रद्द कर दिया जाएगा।।

कार्यकारी आदेश 2021-18 (शमन के उपाय):

कार्यकारी आदेश 2021-19 द्वारा यथा संशोधित कार्यकारी आदेश 2021-18 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं अक्टूबर 16, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2021-22 (टीकाकरण और परीक्षण आवश्यकताएँ):<<<1078/><1079/

कार्यकारी आदेश 2021-22 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं अक्टूबर 16, 2021 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2021-22 को निम्नवत संशोधित और सुधारित किया जाता है:

अनुभाग 5.b. राज्य के स्वामित्व या संचालन वाली सभी सामूहिक (कांग्रेगेट) इकाइयों के सभी राज्य कर्मचारियों को, मोलभाव के अधीन, अक्टूबर 14, 2021 तक, दो-खुराक वाली COVID-19 टीका श्रृंखला की दोनों खुराकें, या एकल-खुराक COVID-19 टीका लग जाना चाहिए, और दो-खुराक वाली COVID-19 टीका श्रृंखला की दूसरी खुराक नवंबर 18, 2021 तक अवश्य लग जानी चाहिए।

अनुभाग 5.c. राज्य के स्वामित्व या संचालन वाली सभी सामूहिक (कांग्रेगेट) इकाइयों में कार्य करने वाले सभी ठेकेदारों और वेंडरों को अक्टूबर 14, 2021 तक दो खुराक वाली COVID-19 टीका श्रृंखला की दोनों खुराकें, या एकल-खुराक COVID-19 टीका लग जाना चाहिए, और दो-खुराक वाली COVID-19 टीका श्रृंखला की दूसरी खुराक नवंबर 18, 2021 तक अवश्य लग जानी चाहिए। इसमें ऐसा कोई व्यक्ति शामिल नहीं है जो राज्य के स्वामित्व या संचालन वाली सामूहिक (कांग्रेगेट) इकाई द्वारा निर्धारित किए अनुसार, इकाई में केवल थोड़े ही समय के लिए उपस्थित होता है और स्थल पर दूसरों से समीपता वाली उसकी गतिविधियां क्षणिक हैं (उदा. किसी स्थल पर डिलीवरी करने वाले ठेकेदार, जहां वे दूसरों से शारीरिक दूरी पर रहते हैं या किसी शिपमेंट को ले जाने के लिए स्थल में बहुत कम समय के लिए प्रवेश करते हैं)।

भाग 2: बचत खंड (सेविंग्स क्लॉज़)। यदि इस कार्यकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या उपयोग को किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी अन्य प्रावधान या इस कार्यकारी आदेश को लागू करने को प्रभावित नहीं करती है, जिसे बिना अवैध प्रावधान के या उसके उपयोग के प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस कार्यकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करणीय घोषित किया जाता है।

जेबी प्रिट्ज़कर, राज्यपाल

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा सितंबर 17, 2021 को जारी
राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा दायर सितंबर 17, 2021